झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–208 वर्ष 2007

1. मोस0 सोबरानी
2. राम चन्द्र प्रसाद उर्फ चन्द्र महतो
3. कृष्णा सोनार
4. बालेश्वर महतो
5. यमुना सोनार
6. डेगन महतो
7. बद्री प्रसाद .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सहाय गौरव पीयूष, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी–राज्य के लिए:–श्री अरूप कु0 डे, ए0पी0पी0।

06 / 02.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–VII, हजारीबाग द्वारा आपराधिक अपील सं0 33 / 2006 में पारित दिनांक 16.12.2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान न्या0 दं0, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा

जी0आर0 सं0 2199/84, टी0आर0 सं0 217/2006 में पारित दिनांक 02.03.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को भा0दं0सं0 की धारा 144 और 379 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और भा0दं0सं0 की धारा 379 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्य कारावास की सजा सुनाई गई एवं भा0दं0सं0 की धारा 144 के तहत अपराध के लिए छह महीने के लिए सामान्य कारावास और दोनों सजाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

3. तामीला रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता सं0 1 और 6 अर्थात् क्रमशः मोस0 सोबरानी और डेगन महतो की मृत्यु हो गई है। तद्नुसार, तत्काल पुनरीक्षण आवेदन को याचिकाकर्ता सं0 1 और 6 अर्थात् मोस0 सोबरानी और डेगन महतो के खिलाफ खारिज कर दिया जाता है।

4. शुरूआत में ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिकॉर्ड के अनुसार 13.07.2007 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता सं0 2, अर्थात् रामचंद्र प्रसाद उर्फ चंद्र महतो के खिलाफ यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया था, इसलिए वे केवल याचिकाकर्ता सं0 3, 4, 5 एवं 7 के विरूद्ध ही इस आवेदन को रख रहे हैं।

जीवित याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील पहले काट चुकी अवधि में सजा को संशोधित करने के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित रखा है क्योंकि मामला वर्ष 1984 का है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पिछले 38 वर्षों से मुकदमें की कठिनाईयों का

सामना किया है और वे लगभग 30 दिनों तक हिरासत में भी रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर उन्हें छोटी अवधि के लिए भी वापस जेल भेजने से उनके पूरे परिवार को नुकसान होगा, इसलिए पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा में संशोधन करके कुछ नरमी दी जा सकती है।

विद्वान अति0 लो0 अभि0 ने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील का विरोध किया।

5. राज्य के विद्वान वकील ने निर्णयों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार, दोषसिद्धि को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, हालांकि जुर्माने के रूप में सजा को संशोधित किया जा सकता है।

6. निचली अदालत कते अभिलेखों सहित आक्षेपित निर्णय को देखने के बाद और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को ध्यान में रखते हुए, मैं निचली न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और इस तरह विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित अैर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया दोषसिद्धि का निर्णय, इसके द्वारा बरकरार रखा जाता है।

7. हालांकि, जहाँ तक सजा का संबंध है, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि यह घटना वर्ष 1984 की है और लगभग 38 साल बीत चुके हैं और जीवित याचिकाकर्ताओं को पिछले 38 वर्षों से मुकदमेबाजी की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा होगा। यह नहीं कहा गया

है कि उन्होंने कभी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग किया है और वे लगभग एक महीने तक हिरासत में भी रहे।

8. इस तरह की स्थिति में, मेरी राय है कि जीवित याचिकाकर्ताओं/दोषियों को वापस जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि न्याय का हित पर्याप्त होगा यदि जुर्माने के रूप में सजा को संशोधित किया जाता है।

9. इस प्रकार, विचारण अदालत द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि जीवित याचिकाकर्ताओं को पहले से काट चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है, बशर्ते कि प्रत्येक 2500/– रूपये के जुर्माने का भुगतान करे।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं0 3, 4, 5 एवं 7, प्रत्येक को आज ासे 4 महीने की अवधि के भीतर 2500/– रूपये के उपरोक्त जुर्माने का भुगतान डी0एल0एस0ए0, हजारीबाग के समक्ष करेंगे, जिसमें विफल रहने पर वे विद्वान निचली अदालतों के आदेश के अनुसार शेष सजा काटेंगे।

11. केवल उपरोक्त टिप्पणियाँ, निर्देशों और सजा में संशोधन के साथ, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है।

12. जीवित याचिकाकर्ताओं को उपरेक्त शर्त की पूर्ति के अधीन, उनके जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

13. इस आदेश की एक प्रति निचली अदालत, सचिव, डी0एल0एस0ए0, हजारीबाग और जीवित याचिकाकर्ताओं को भी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाए।

14. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)